राजस्व वाद GCMS नंबर 2023/101 बअनवान शिवलाल वगैरा बनाम तहसीलदार बाली वगैरा
वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 188, 209, 91, 15 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
06/04/26	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता श्री पुर्णेश बोहरा उपस्थित। प्रतिवादी संख्या–01 पैरोकार सरकार उपस्थित। प्रतिवादी संख्या–03 के अधिवक्ता श्री मूलसिंह यादव उपस्थित। पेरोकार सरकार साक्ष्य पेश करना नहीं चाहते है। उपस्थित वकुलाय की बहस सुनी गई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अध्ययन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व उभयपक्ष वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् प्रकरण में कायम वाद बिन्दुओ को निम्नानुसार निर्णित किया जाता है:– 1. आया ग्राम भाटुन्द स्थित भूमि गत् खसरा नंबर 30 ब्राह्मणों के जागीरदारी की होने से वादीगण के पुर्वज भी जागीर रिज्यम्पशन के समय गत् खसरा नंबर 30 पर अपने हिस्से अनूसार काबिज थें ?--- ---वादीगण उक्त तनकी को सिद्ध करने का दायित्व वादीगण का था। वादीगण ने अपने वादपत्र में ग्राम भाटुन्द ब्राहमणो के जागीर का ग्राम होने का कथन करते हुये जागीर रिज्यम्शन के समय भाटुन्द के गत् खसरा नंबर 30 पर अपना कब्जा होना वर्णित किया है, परन्तु इस बाबत् कोई अभिलेखीय साक्ष्य पेश नहीं किया है। पत्रावली पर मौजूद खतौनी संवत् 2009 से 2028 में दर्ज इन्द्राज के अनुसार भाटुन्द के गत् खसरा नंबर 30 रकबा सवा 642 बीघा 02 बिस्वा भूमि जागीर गैर मकबुजा गै.मु. गोचर के तौर पर दर्ज थी। जिस भूमि मेंसे सवा 555 बीघा 02 बिस्वा भूमि को जिलाधीश महोदय, पाली के आदेश दिनांक 10.8.67 से गोचर से राजकीय सिवायचक दर्ज किये जाने से नामा0करण संख्या 492 दिनांक 12.7.1971 के राजकीय सिवाय चक दर्ज किया गया। जिससे वादीगण की यह दलील मानने योग्य नहीं हैं कि वादग्रस्त भूमि इनके पुर्वजो के जागीर की भूमि रही हो, तथा इस भूमि पर जागीर रिज्यम्पशन के समय वादीगण के पुर्वजो का कब्जा काश्त रहा हो। जिससे तनकी संख्या–01 वादीगण के विरूद्व व प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती हैं। 2. आया वादीगण अपने खुदकाश्त की भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी होने के बावजूद राजस्थान भू0 प्रबन्ध अधिनियम कार्यवाही के दौरान् वादीगण के पूर्वजो के कब्जा काश्त की भूमि भाटुन्द के गत् खसरा नंबर 30 जिसमें मिन नंबर 30/15 व 30/7 के बने नये खसरा नंबर 24/2727 व 24/2726 रकबा क्रमशः 1.15 हैक्टर व 0.96 हैक्टर राजकीय सिवाय चक दर्ज कर देने से वादीगण प्रतिकूल कब्जे के आधार पर पुश्तैनी भूमि की घोषणा खातेदारी अधिकार पाने के अधिकारी हैं ?-----वादीगण उक्त तनकी को सिद्ध करने का दायित्व भी वादीगण का था। वादीगण ने ग्राम भाटून्द स्थित भूमि गत् खसरा नंबर 30 व उससे बने मीन नंबर 30/15 व 30/7 से बने हाल खसरा नंबर 24/2727 रकबा 1.15 हैक्टर एवं खसरा नंबर 24/2726 रकबा 0.96 हैक्टर की भूमि को अपने पुर्वजो के खुद काश्त की भूमि होना वर्णित करते हुये प्रतिकुल कब्जे के आधार पर घोषणा खातेदारी की मांग की है, परन्तु तनकी संख्या 01 में किये विवेचन के अनुसार वादीगण इस बाबत् दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध करवाने में असफल	

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये

रहे है। इसके विपरित प्रतिवादी संख्या–01 तहसीलदार, बाली ने प्रस्तुत जवाब के बिन्दु संख्या–06 में वर्णित किया हैं कि खसरा नंबर 30 रकबा सवा 642 बीघा 2 बिस्वा भूमि गैर मुमकिन गोचर की भूमि रही है। जिसको जिलाधीश महोदय, पाली के आदेश से सिवाय चक दर्ज करने के बाद भू0प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान् गत् खसरा नंबर 30 मी. से नये खसरा नंबर 24/2727 रकबा 1.15 हैक्टर कायम किये गये। जिस भूमि का प्रतिवादी संख्या–02 दुजाराम पुत्र भीमाराम मेघवंशी को आवंटन होने से नामा0करण संख्या 127 दिनांक 9.6.1992 के गैर खातेदार दर्ज किया गया। तथा नामान्तरकरण संख्या 161 दिनांक 18.4.1994 के जरिये गैर खातेदार से खातेदार दर्ज किया गया। खातेदार दुजाराम द्वारा भूमि बेचान करने से हाल खसरा नंबर 24/2727 रकबा 1.15 हैक्टर भूमि प्रतिवादी संख्या–03 जयंतिलाल पुत्र कपूराराम जाति सरगरा सा. कोठार के नाम दर्ज हैं। इसके साथ ही पत्रावली पर मौजुद साक्ष्यो से यह भी प्रमाणित हैं कि खातेदार जयंतिलाल पुत्र कपुराराम सरगरा ने अपनी भूमि को होटल प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन भी करवा दिया है। तहसीलदार, बाली ने अपने जवाब में यह भी वर्णित किया हैं कि हाल खसरा नंबर 24/2726 रकबा 0.96 हैक्टर गत् खसरा नंबर 30/7 मी. रकबा 6 बीघा से बना हैं। उक्त खसरा नंबर 24/2726 दिनांक 5.2.1983 को पुनाराम पुत्र करमा मेघवंशी को आवंटन होने से नामा0करण संख्या 158 दिनांक 5.2.1983 से पुनाराम को गैर खातेदार दर्ज किया गया। आवंटि द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से जमाबंदी संवत् 2044 से 2047 मे हाल खसरा नंबर 24/2726 रकबा 0.96 हैक्टर सिवाय चक दर्ज हुआ। इस प्रकार हाल खसरा नंबर 24/2726 रकबा 0.96 हैक्टर पर यदि वादीगण का कब्जा है, तो वादीगण भू0 आवंटन कमेटी के समक्ष अपना प्रकरण रख सकता है। प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वादीगण को खसरा नंबर 24/2726 रकबा 0.96 हैक्टर में भी किसी प्रकार के हक अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। जिससे उक्त तनकी भी वादीगण के विरूद्व व प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती हैं।

3.आया जागीर रिजम्पशन के दौरान् जागीरदारों के अधिकार समाप्त होने से तथा टिनेन्सी एक्ट के प्रावधान लागू होने के समय वादग्रस्त भूमि के खातेदार वादीगण एव उनके पूर्वज खातेदार दर्ज होने से वादीगण सिवायचक भूमि के खातेदारी पाने के अधिकारी नहीं हैं.?...प्रतिवादी संख्या 01

उक्त तनकी को सिद्व करने का दायित्व प्रतिवादी संख्या–01 का था। प्रतिवादी संख्या–01 द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं जवाब के साथ प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यो से यह प्रमाणित हैं कि उक्त भूमि जागीर समय में गै.मु. गोचर थी तथा पश्चात् सिवाय चक रही है। सिवाय चक भूमि पर यदि वादीगण का लगातार बेरोक–टोक काश्त व कब्जा होता तो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर चलाये गये भूमि नियमन कार्यक्रमो में अवश्य ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते, परन्तु वादीगण को इसकी खातेदारी प्राप्त नहीं होना यह इंगित करता है कि वादीगण इसके लिये पात्र नहीं हुए। अब चूँकि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार देने को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी प्रतिबंधित कर दिया है, ऐसे में इस

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी * बाली, जिला - पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये

न्यायालय द्वारा वादीगण को सिवायचक भूमि का खातेदार घोषित नहीं किया जा सकता। वादीगण अपना प्रकरण भूमि आवंटन नियमन कमेटी के समक्ष रखने के लिये स्वतंत्र है। जिससे उक्त तनकी भी वादीगण के विरूद्व व प्रतिवादी संख्या–01 के पक्ष में निर्णित की जाती हैं।

4. आया भाटुन्द के हाल खसरा नंबर 24/2727 रकबा 1.15 हैक्टर के खातेदार दुजाराम के नाम आवंटित कृषि भूमि हैं। जिसको बेचान के पश्चात् उक्त कृषि भूमि को गैर कृषि में परिवर्तन किया हैं। जिससे वादीगण खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं?..... प्रतिवादीगण संख्या 03

उक्त तनकी को सिद्व करने का दायित्व प्रतिवादी संख्या–03 का था। प्रतिवादी संख्या–03 द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा एवं जवाबदावा के साथ प्रस्तुत बेचान रजिस्ट्री एवं भूमि संपरिवर्तन आदेश की प्रति से यह प्रमाणित हैं कि खातेदार दुजाराम द्वारा भूमि बेचान के बाद जयंतिलाल पुत्र कपुराराम सरगरा सा. कोठार के नाम खातेदारी दर्ज हुई, जिनके द्वारा आदेश क्रमॉक/एल.सी/2023–24/176026 दिनांक 24.5.2024 के द्वारा भाटून्द के हाल खसरा नंबर 24/2727 रकबा 11500 वर्गमीटर भूमि को होटल प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित करवा दिया है। जिससे खसरा नंबर 24/2727 रकबा 1.15 हैक्टर की खातेदारी वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी नहीं रह जाते है। जिससे उक्त तनकी प्रतिवादी संख्या–03 के पक्ष में तथा वादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती है।

5. अनुतोष ?..

तनकी संख्या 01 से 04 वादीगण के विरूद्व निर्णित हो जाने से वादीगण किसी प्रकार का अनुतोष पाने के अधिकारी नहीं रहते हैं।

–:: निर्णय ::–

तनकी संख्या 01 से 04 वादीगण के विरूद्व निर्णित करने के पश्चात् ज्ञात हैं कि वादीगण ने प्रतिकूल कब्जे के आधार पर ग्राम भाटुन्द के गत खसरा नंर 30/15 व 30/7 से बने हाल खसरा नंबर 24/2727 रकबा 1.15 हैक्टर एवं खसरा नंबर 24/2726 रकबा 0.96 हैक्टर की घोषणा खातेदारी चाही है, परन्तु खसरा नंबर 24/2727 रकबा 1.15 हैक्टर भूमि वर्तमान में कृषि भूमि न होकर होटल प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन शुदा भूमि है, जिस बाबत् वादीगण इस न्यायालय से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं रहते। जहॉ तक खसरा नंबर 24/2726 रकबा 0.96 हैक्टर की घोषणा खातेदारी का प्रश्न है, इस खसरा की भूमि की भी प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी नहीं दी जा सकती। तनकी संख्या–03 में किये विवेचन के अनुसार वादीगण अपना प्रकरण उपखण्ड स्तरीय भूमि आवंटन नियमन/नियमन कमेटी के समक्ष रख कर अपना अनुतोष प्राप्त कर सकता है, इसके लिये वादीगण स्वतंत्र है। जिससे वादीगण का प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 188, 209, 91, 15 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किया जाता हैं। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)
बइजलास श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

वादीगण :–

1. शिवलाल पुत्र विंजाराम
2. अंबाशंकर पुत्र विंजाराम जातिगण ब्राह्मण निवासीगण भाटून्द तहसील बाली

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार बाली
2. दूजाराम पुत्र भीमाराम मेघवाल निवासी भाटून्द तहसील बाली
3. जयंतिलाल पुत्र कपूराराम सरगरा निवासी कोठार तहसील बाली

राजस्व वाद प्रकरण संख्या Gcms No. 2023/101
वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 188, 209, 91, 15 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष हाजरी वकील वादी व वकील प्रतिवादी पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

तनकी संख्या 01 से 04 वादीगण के विरूद्व निर्णित करने के पश्चात् ज्ञात हैं कि वादीगण ने प्रतिकूल कब्जे के आधार पर ग्राम भाटुन्द के गत खसरा नंर 30/15 व 30/7 से बने हाल खसरा नंबर 24/2727 रकबा 1.15 हैक्टर एवं खसरा नंबर 24/2726 रकबा 0.96 हैक्टर की घोषणा खातेदारी चाही है, परन्तु खसरा नंबर 24/2727 रकबा 1.15 हैक्टर भूमि वर्तमान में कृषि भूमि न होकर होटल प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन शुदा भूमि है, जिस बाबत् वादीगण इस न्यायालय से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं रहते। जहॉ तक खसरा नंबर 24/2726 रकबा 0.96 हैक्टर की घोषणा खातेदारी का प्रश्न है, इस खसरा की भूमि की भी प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी नहीं दी जा सकती। तनकी संख्या–03 में किये विवेचन के अनुसार वादीगण अपना प्रकरण उपखण्ड स्तरीय भूमि आवंटन नियमन/नियमन कमेटी के समक्ष रख कर अपना अनुतोष प्राप्त कर सकता है, इसके लिये वादीगण स्वतंत्र है। जिससे वादीगण का प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 188, 209, 91, 15 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किया जाता हैं। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी किया।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

(दिनेश विश्नोई),
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with OKEN Scanner